न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म॰ प्र॰)

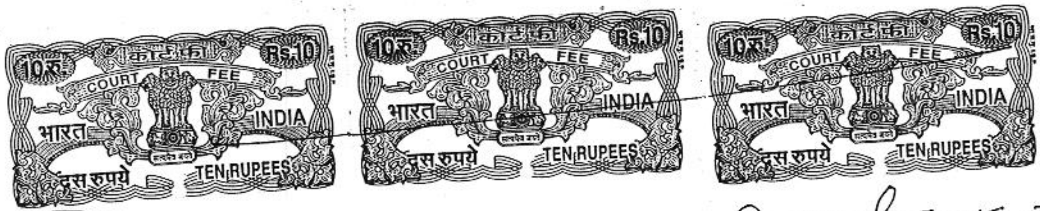

Rs. 30/-

निगरानी 2225-II-15

189
11.6.15

1. सिपाहीलाल कुशवाहा (पिसरान स्वर्गीय नर्बदा कुशवाहा पेशा खेती,
2. यदुनाथ कुशवाहा (निवासी ग्राम इटौहीं, थाना कोतवाली सीधी
3. जय करण कुशवाहा (तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म॰प्र॰)

------- पुनरीक्षणकर्तागण

श्री. राकेश तिवारी द्वारा आज दिनांक 11.6.15 को प्रस्तुत किया गया।

बनाम

11.6.15
सर्किट कोर्ट रीवा

1. राजभान कुशवाहा पिता बृहस्पति कुशवाहा पेशा खेती निवासी ग्राम - इटौही, थाना कोतवाली सीधी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म॰प्र॰)

2. मध्य प्रदेश शासन

------- गैर पुनरीक्षणकर्तागण

क्रमांक 5866
रजिस्टर्ड डाक द्वारा आज
दिनांक .... को प्राप्त
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गोपदबनास जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 265 अ-12/2013-2014 आदेश दिनांक 8.5.2015 जिसके अनुसार ग्राम इटौही, तहसील गोपदबनास जिला सीधी स्थित आराजी खसरा नम्बर 250/1 रकवा 0. 37$\frac{1}{2}$ हे0 एवं खसरा नम्बर 256/2 रकवा 0.25 हे0 के बाबत पटवारी हल्का बिसुनीटोला नं.62 एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल गिर्द प्रथम के द्वारा दिनांक 11.6.2014 को कीगई कथित सीमांकन की कार्यवाही के दौरान तैयार सीमांकन प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, फील्डबुक, सीमांकित नक्शा प्लाट को पुष्टि करते हुए पुनरीक्षणकर्तागण की आपत्ति खारिज कर दीगई है।

- -- - - - - - - - - - - - - ---

.2.

यदुनाथ

M

XXX (a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2225/111/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-01-16	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता को प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं निगरानी में आक्षेपित आदेश दिनांक 8-5-15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि विवादित एवं सीमांकित भूमि सर्वे क्रमांक 250/1 रकबा 0.395 हे. एवं सर्वे क्रमांक 256 रकबा 0.250 हे. सहखाते की भूमि है जिसमें उभयपक्ष का बराबर-बराबर का हिस्सा है। प्रकरण के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त सर्वे क्रमांकों का उभयपक्ष के द्वारा आपसी हिस्सा बांट करके बीच में पटिया डाल कर कब्जेदार बने हुए हैं। कानूनी तौर से शासकीय अभिलेख में बटवारा एवं नक्शा तरमीम नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में बिना बटवारा शासकीय अभिलेख एवं बिना नक्शा तरमीम के सीमांकन कार्यवाही संहिता में निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। तहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 8-5-15 से भी यही प्रकट हो रहा है कि विवादित उक्त सीमांकित भूमि सहखाते की है जिसका विधिवत विभाजन एवं नक्शा तरमीम नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में म.प्र. राजस्व संहिता की धारा 129 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार बिना बटवारा एवं बटांकन	

[कृ. प. उ.

R. 2225/III/15 [illegible]

स्थान तथा दिनांक	[illegible] कार्यवाही तथा आदेश [illegible]	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

(नक्शा तरमीम) के किया गया सीमांकन विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता, जो हस्तक्षेप योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 8-5-15 तीन माह के लिए प्रभावहीन घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में यदि आवेदक एवं अनावेदक चाहें तो विवादित भूमि का पहले अपने अभिलेखीय स्थल के अनुसार बटवारा करावें एवं बटवारे के अनुसार नक्शा तरमीम करावें, तत्पश्चात सीमांकन की कार्यवाही निर्धारित समयावधि तीन माह में उभयपक्ष यदि चाहें तो उनकी उपस्थिति में विधिवत पूर्ण की जावे। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण एवं सम्पन्न कराने हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों। यदि उभयपक्ष उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने हेतु पीठासीन अधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं होते हैं तथा प्रकरण में कोई आगामी कार्यवाही आवेदक एवं अनावेदक द्वारा नहीं कराई जाती है तब ऐसी स्थिति में तहसीलदार का उक्त प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 8-5-15 निरस्त माना जावेगा। आवेदक एवं अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विधि अनुकूल कार्यवाही करना तहसीलदार समय सीमा में सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हों। दाखिल रिकार्ड हो।

5.1.16

(सदस्य)